

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(44)नवि/राआम/2017

जयपुर, दिनांक: 7-6 JUL 2018

संशोधित आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 21.06.2018 द्वारा प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के दृष्टिगत जारी किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में क्रम संख्या 2 पर अंकित "श्री बजरंग लाल कुमावत" के स्थान पर "श्री बजरंग लाल गुप्ता" पढ़ा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

SV

(अर्जुन राम चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, भरतपुर/अलवर।
4. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल भरतपुर/अलवर।
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. संबंधित कार्मिक।
7. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

SV

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय